राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय एंव तृतीय तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोनः– 01041–2712376 E-mail ID– rajssa_as@yahoo.co.in

क्रमांकः– राप्राशिप/जय/वै.शि./गै.आ.वि.प्र.शि./2018–19/ 6635 दिनांक 20../..9../2018

दिशा–निर्देश

गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (3 माह, 6 माह एवं 9 माह) सत्र 2018–19

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 4 एवं राजस्थान के आरटीई नियम 2011 के नियम 6 में शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं (OoSC) को आयु अनुरूप कक्षा की दक्षता प्राप्त करने हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उक्त प्रावधान की क्रियान्विति हेतु सत्र 2018–19 में राजस्थान में शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं में आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेशोपरान्त उस कक्षा की दक्षता विकसित करने हेतु 3 माह, 6 माह एवं 9 माह का गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का संचालन किया जाना है। इस गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश इस प्रकार से हैः–

सामान्य कार्य प्रक्रियाः–

(1) विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु पात्र बालक–बालिकाओं की पहचानः–

(a) शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं के संबंध में सूचना नवीन हाउस होल्ड सर्वे एवं पूर्व में संधारित VER/WER पंजिकाओं से प्राप्त की जाकर उनके विद्यालय नामांकन हेतु प्रयास करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र में नोडल समस्त संबंधित शाला प्रधान को प्रेरित करें।

(b) ग्रामीण क्षेत्र में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में नोडल अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विद्यालय में चालू सत्र में नामांकित शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की आयु अनुरूप कक्षा की दक्षता की जॉच संलग्न मानक मापदण्ड अनुसार संबंधित विद्यालय के माध्यम से करवायेंगे। जाँच के पश्चात् निम्नानुसार समूह बनायेंगे एवं यह निर्धारित करेंगे कि कितने बालक–बालिकाओं को तीन माह एवं कितने बालक–बालिकाओं को छः माह तथा कितने बालक–बालिकाओं को 9 माह की अवधि के लिए विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता हैः–

तालिका–1

स्तर	आयु समूह	कक्षा अनुरूपता	कुल बालक–बालिकाओं की संख्या								
			बालक			बालिका			कुल		
			तीन माह	छः माह	नौ माह	तीन माह	छः माह	नौ माह	तीन माह	छः माह	नौ माह
1	7–9 वर्ष	कक्षा 1 से 3									
2	9–11 वर्ष	कक्षा 4 से 5									
3	11–13 वर्ष	कक्षा 6 से 7									
4	13+	कक्षा 8									
योग											

(c) शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं का नाम आयु अनुरूप कक्षा में एस.आर. पंजिका में दर्ज कर उनके नाम के आगे विशेष प्रशिक्षण शिविर, स्थल का नाम अंकित कर दिया जावे एवं इस अनुसार शाला दर्शन पोर्टल पर अंकन करवाया जायेगा।

(2) विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु पात्र बालक–बालिकाओं की संख्या एवं शिविरों का निर्धारणः–

(a) ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र में नोडल उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले विद्यालय के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु पात्र विद्यार्थियों के अभिभावकों की इस विषय में सहमति प्राप्त करेंगे कि वे अपने पुत्र/ पुत्री को आवासीय विशेष प्रशिक्षण से जोड़ना चाहते हैं या गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं। सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र में

www.rajteachers.com

नोडल 3, 6 माह आवासीय एवं 3, 6 व 9 माह की अवधि वाले गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या का निर्धारण करेंगे।

(b) गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षणार्थी 15 बालक–बालिकाओं के लिए एक शिविर आयोजित किया जाएगा अर्थात् शिक्षा से वंचित 15 विद्यार्थियों के प्रत्येक समूह के लिए एक शिविर संचालित होगा। बालक–बालिकाओं की संख्या 15 से कम होने पर उन प्रशिक्षणार्थियों में कक्षा स्तर अनुरूप दक्षता का विकास करने के लिए उन्हें उस परिक्षेत्र में संचालित अन्य गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में अध्ययन हेतु शामिल किया जावेगा, पृथक् से शिविर संचालित नहीं होगा।

(c) ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र में नोडल संस्था प्रधान प्राप्त प्रशिक्षणार्थी संख्या एवं शिविर स्थल को ध्यान में रखकर शिविरों की कुल संख्या का निर्धारण करेंगे।

(d) तीन माह की अवधि, 6 माह की अवधि एवं 9 माह की अवधि वाले शिविरों का संचालन पृथक्–पृथक् किया जावेगा।

(e) संबंधित विद्यालय के शिक्षक निर्धारित प्रारूप (संलग्न परिशिष्ट–2 के अनुसार) में बालक–बालिकाओं के आवेदन पत्र भरवाकर संधारित करेगे।

(3) गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु शिविर स्थल का चयन एवं शिविर संचालन हेतु प्रस्ताव तैयार करवानाः–

(a) तीन माह, छः माह व नौ माह की अवधि हेतु प्रशिक्षित किये जाने वाले शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की संख्या, सुविधा एवं स्थान की उपलब्धता अनुसार शिविर स्थल का चयन ग्रामीण क्षेत्र के लिए पीईईओ द्वारा एवं शहरी क्षेत्र के लिए नोडल द्वारा किया जावेगा। स्थल चयन करते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जावेः–

- गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर यथा संभव राजकीय विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन या समाज द्वारा उपलब्ध कराये गए ऐसे भवनों में संचालित किये जायेंगे जो बालक/बालिकाओं की संख्या अनुसार उपयुक्त एवं सुरक्षित, यथा संभव बिजली, पानी एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था वाले हों।
- यदि उक्तानुसार भवन उपलब्ध नहीं हो तो पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर बीईईओ किराये पर भवन लेने की स्वीकृति जारी करेंगे। किराये पर लिए गए भवन के किराये की व्यवस्था जन–सहयोग से की जावेगी।
- यदि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय विशेष में 15 से कम हो तो ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र में नोडल द्वारा उनके क्षेत्राधिकार स्थित अन्य विद्यालय के विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम विद्यार्थी संख्या वाले विद्यालय/ बहुसंख्य विद्यार्थियों के आवास स्थान के नजदीक के स्थान का प्रशिक्षण स्थल के रूप में चयन किया जावेगा।
- इच्छुक बालक–बालिकाओं की संख्या कम होने की स्थिति में अभिभावकों की सहमति से पूरे ब्लॉक में एक ही गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का भी संचालन किया जा सकता है।

(b) स्थान के चयन उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र में नोडल जिस विद्यालय में शिविर संचालन किया जाना है उसकी या विद्यालय भवन से भिन्न स्थान का चयन होने पर उस चयनित स्थान के निकटतम स्थित राजकीय विद्यालय की एस.एम.सी. के माध्यम से शिविर संचालन का प्रस्ताव परिशिष्ट–1 के अनुसार तैयार कर बीईईओ के माध्यम से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करवायेंगे।

(c) अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक गैर गैर विशेष प्रशिक्षण शिविर का प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम 7 दिवस में जाँच व तदनुसार अनुमोदन कर प्रस्ताव की स्वीकृति जिला परियोजना समन्वयक से करवा कर संबंधित बीईईओ के माध्यम से पीईईओ व नोडल को सूचित करेंगे।

www.rajteachers.com

(d) प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होते ही ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र में नोडल गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर की समस्त तैयारी एवं आवश्यक व्यवस्था आदि कर एस.एम.सी. के माध्यम से शिविर संचालन प्रारम्भ करेंगे, शिविर आरम्भ दिनांक से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को सूचित करेंगे एवं शिविर में नामांकित बच्चों की सूचना शाला दर्शन पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में अपलोड करेंगे।

(4) शैक्षिक व्यवस्थाः–

(a) गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में शैक्षिक कार्य प्रशिक्षित योग्य एज्यूकेशन वॉलिन्टियर (एज्यूकेशन वॉलिन्टियर) द्वारा किया जावेगा।

(b) गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में 15 से 20 बालक–बालिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु एक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर होगा। बालक–बालिकाओं की संख्या एक शिविर में 20 से अधिक व 30 से कम होने पर एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की सहायता हेतु एक सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर नियुक्त किया जावेगा। इस प्रकार आवश्यक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर एवं सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की संख्या निर्धारित की जायेगी।

(c) एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का चयन–

- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर चयन की प्रक्रिया एस.एम.सी. द्वारा पात्र बालक–बालिकाओं की संख्या निर्धारित होने के बाद गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रस्ताव भिजवाने के साथ प्रारम्भ कर दी जावे ताकि प्रस्ताव स्वीकृत होते ही शिविर प्रारम्भ किये जा सकें।
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर के प्रभावी चयन हेतु आवश्यक संख्या, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य, देय मानदेय, योग्यता/ चयन के आधार के संबंध में एस.एम. सी. द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, ग्राम पंचायत/ नगरपालिका कार्यालय आदि में नोटिस चस्पा कर व अन्य माध्यम से किया जावे।
- ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) तथा शहरी क्षेत्र में नोडल के निर्देशन में एसएमसी के माध्यम से एज्यूकेशन वॉलिन्टियर (EV) का चयन निम्नानुसार वरीयता क्रम में किया जाएगाः–
  (i) सेवानिवृत स्थानीय शिक्षक जिनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष से कम एवं पूर्णतः स्वस्थ हो।
  (ii) अन्य प्रशिक्षित स्थानीय व्यक्ति।
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर चयन में प्रथम प्राथमिकता सेवानिवृत्त स्थानीय शिक्षक को दी जायेगी जिसकी आयु 65 वर्ष से कम एवं पूर्णतः स्वस्थ हो।
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का कार्य करने हेतु एक से अधिक सेवानिवृत्त स्थानीय शिक्षक उपलब्ध होने पर निम्न तालिका अनुसार मैरिट निर्धारित कर चयन किया जावेगाः–

तालिका–2

दसवीं	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक
बारहवीं	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक
BSTC/ B.Ed.	प्रथम श्रेणी	5 अंक
	द्वितीय श्रेणी	3 अंक
	तृतीय श्रेणी	1 अंक
साक्षात्कार	–	5 अंक
कुल अंक		30 अंक

www.rajteachers.com

- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर चयन हेतु सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होने पर प्रशिक्षित स्थानीय व्यक्ति का चयन उपर्युक्त तालिका–2 के आधार पर मैरिट निर्धारित कर किया जायेगा।
- एस.एम.सी. एज्यूकेशन वॉलिन्टियर एवं सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का चयन कर एक पैनल तैयार करेगी एवं पैनल से मैरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी को एज्यूकेशन वॉलिन्टियर हेतु चयनित करेगी तथा आकस्मिक स्थिति में भी इस पैनल में से मैरिट अनुसार उपलब्ध अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

(d) सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का चयन–

- सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का चयन अनिवार्यतः B.Ed./ BSTC interns में से निम्नलिखित तालिका के आधार पर मैरिट निर्धारित कर किया जायेगा :–

तालिका–3

दसवीं	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक
बारहवीं	60 व 60 से अधिक प्रतिशत प्रतिशत	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक
साक्षात्कार	–	5 अंक
कुल अंक		25 अंक

- सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर के रूप में B.Ed./ BSTC interns की उपलब्धता होने पर उनको मानदेय का भुगतान नहीं किया जावेगा (यह प्रक्रिया उनके प्रशिक्षण का हिस्सा है)।
- B.Ed./ BSTC interns अनुपलब्ध होने पर स्थानीय स्नातक व्यक्ति का सहायक एज्यूकेशन वालिन्टियर के रूप में चयन निम्नलिखित तालिका के आधार पर मैरिट निर्धारित कर किया जायेगा :–

तालिका–4

दसवीं	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक
बारहवीं	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक
स्नातक	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	5 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	3 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	1 अंक
साक्षात्कार	–	5 अंक
कुल अंक		30 अंक

(e) एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का प्रशिक्षण–

- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर को 7 दिवस का प्रशिक्षण शिविर प्रारम्भ के साथ–साथ दिया जावेगा। शिविर के प्रारम्भ में एज्यूकेशन वॉलिन्टियर प्रथम 5 दिन तक 2 घण्टे प्रतिदिन विशेष प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित रहकर शिविर संचालन हेतु पदेन प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अथवा नोडल अधिकारी द्वारा नामित शिक्षक के कार्य में सहायता करेगा एवं उसके बाद बीईईओ कार्यालय में प्रशिक्षण लेने हेतु जायेगा। छठे दिन एज्यूकेशन वॉलिन्टियर गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में कार्यरत शिक्षक की देखरेख में शिक्षण कार्य करेंगे एवं सातवें दिन गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षणार्थियों के पोर्टफोलियो को साथ ले जाकर बीईईओ कार्यालय में आर. पी. की देखरेख में शिक्षण पाठ योजना/ कार्य योजना तैयार करेंगे। छः माही एवं नौ माही गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर वाले एज्यूकेशन वॉलिन्टियर को 7 दिवस के उक्त प्रशिक्षण के

www.rajteachers.com

अलावा तीन दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण दीपावली अवकाश या शीतकालीन अवकाश के दौरान बीईईओ कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का प्रशिक्षण करवाने की समस्त जिम्मेदारी बीईईओ की होगी।
- चयनित एज्यूकेशन वॉलिन्टियर को परिषद् की प्रशिक्षण शाखा द्वारा तैयार मॉड्यूल अनुसार ब्लॉक स्तर पर बीईईओ के निर्देशन में नामित आर.पी. के द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। 3 माह के गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु 7 दिवस का तथा 6 माह एवं 9 माह के गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु कुल 10 दिवस का प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा इसके लिए एज्यूकेशन वॉलिन्टियर को बीईईओ कार्यालय तक आने-जाने का वास्तविक किराया देय होगा जो अधिकतम 50/- रूपये प्रतिदिन होगा।
- सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर को प्रशिक्षित नहीं किया जायेगा।
- एजूकेशन वालिन्टियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर को शिविरा कलैण्डर अनुसार मध्यावधि / शीतकालीन तथा जिला कलक्टर/ राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश एवं परिषद् से संचालित गतिविधि में सम्मिलित होने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं है।
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का चयन वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु एक निर्धारित अवधि के लिए किया जा रहा है, जो वित्तीय सत्र की समाप्ति तक आवश्यकतानुसार संचालित किए जायेंगे।
- **एज्यूकेशन वॉलिन्टियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर को कभी भी नियमित नहीं किया जा सकेगा।**

(f) मानदेयः-

- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का मानदेय-
  - ➢ 15 से 20 प्रशिक्षणार्थी तक एक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर कार्य करेगा। एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का मानदेय निम्नानुसार होगाः-

तालिका-5

छात्र संख्या	एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का मानदेय प्रति माह
1 से 15 तक	12/- रूपये प्रति विद्यार्थी प्रति कार्य दिवस के अनुसार या अधिकतम 4500/- रूपये, जो भी कम हो।
16 से 20	12/- रूपये प्रति विद्यार्थी प्रति कार्य दिवस के अनुसार या अधिकतम 5000/- रूपये, जो भी कम हो।
21 से 25	12/- रूपये प्रति विद्यार्थी प्रति कार्य दिवस के अनुसार या अधिकतम 5500/- रूपये, जो भी कम हो।
26 से 29	12/- रूपये प्रति विद्यार्थी प्रति कार्य दिवस के अनुसार या अधिकतम 6000/- रूपये, जो भी कम हो।

- सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का मानदेय-
  - ➢ 20 से अधिक प्रशिक्षणार्थी होने पर एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की सहायता हेतु एक सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर लगाया जायेगा।
  - ➢ 21 प्रशिक्षणार्थी संख्या होने पर सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का मानदेय 1000/- रूपये प्रति माह होगा एवं 22 से 29 तक प्रशिक्षणार्थी संख्या होने पर 10/- रूपये प्रति बालक प्रति कार्य दिवस के अनुसार सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर को अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- एज्यूकेशन वॉलिन्टिर एवं सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर को प्रति माह दिये जाने वाले मानदेय में से 10 प्रतिशत का भुगतान बाह्य मूल्यांकन के बाद किया जायेगा।
- मानदेय का भुगतान आधार लिंक्ड बैंक अकाउण्ट के माध्यम से किया जायेगा।

(5) शिक्षण, शिक्षण सामग्री एवं सामान्य निर्देशः-

www.rajteachers.com

- पदेन प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)/ नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में संचालित होने वाले गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का प्रथम 7 दिवस की अवधि में संचालन करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार स्थित राजकीय विद्यालयों में से एक शिक्षक को नामित करेंगे। यह शिक्षक यथा संभव नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों के आधिक्य वाले विद्यालय से होगा।
- उक्त शिक्षक शिविर प्रारम्भ होने के प्रथम 5 दिवस में शिविर में नामांकित बालक-बालिकाओं हेतु अनुकूलन गतिविधियाँ करावेगा। इस दौरान क्षेत्रीय खेलकूद, साँस्कृतिक एवं अन्य बाल मनोरंजक गतिविधियाँ संचालित कर बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि पैदा की जाकर शिविर में अनुकूलन की कार्यवाही होगी एवं वह प्रशिक्षणार्थियों का पोर्टफोलियो (परिशिष्ट-2 का प्रपत्र-2) एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की सहायता से तैयार करेगा।
- शिविर में प्रशिक्षित किये जा रहे प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी में वांछित शैक्षिक स्तर के अनुरूप पैदा हुई समझ एवं विकसित दक्षता का मूल्यांकन प्रतिमाह मानक मापदण्ड (लर्निंग इन्डीकेटर) अनुसार तैयार प्रश्न पत्र द्वारा किया जायेगा। यह प्रश्न पत्र ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र में नोडल द्वारा मनोनित उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा तैयार किया जायेगा। उक्त मूल्यांकन का रिकार्ड एज्यूकेशन वॉलिन्टियर द्वारा निर्धारित पोर्टफोलियो में रखा जायेगा।
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो प्रतिमाह अपडेट करेगा।
- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार किया गया संघनित पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 7 तक वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पढ़ाया जाएगा।
- संघनित पाठ्यक्रम द्वारा एक कक्षा स्तर की दक्षताओं का विकास अधिकतम 3 माह में किया जायेगा।
- तीन माह की अवधि के लिए संचालित शिविर में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों का बाह्य जाँच दल, जिसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रतिनिधि, नोडल/ पीईईओ तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित आर.पी. सदस्य होंगे, द्वारा शिविर का त्रैमासिक मूल्यांकन सीखने के मानक मापदण्डानुसार किया जायेगा। बाह्य मूल्यांकन के परिणाम (परिशिष्ट-7) के आधार पर शिविर में पंजीकृत बालक-बालिकाओं के कक्षा स्तर का निर्धारण करेंगे तथा परिणाम अनुसार निर्धारित कक्षा में उन्हें संबंधित विद्यालय में मैनस्ट्रीम कराया जायेगा एवं नियमित अध्ययन-अध्यापन विद्यालय के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा। यह कक्षा बालक-बालिका की आयु अनुरूप कक्षा से भिन्न हो सकती है। इस प्रकार शिक्षा से वंचित बालक-बालिका का शाला दर्शन पोर्टल पर मैनस्ट्रीमिंग अनुसार रिकार्ड अपडेट किया जायेगा एवं कक्षा भिन्न होने की स्थिति में तद्नुसार एस.आर. पंजिका में परिवर्तन अंकित किया जायेगा।
- छः माह की अवधि के लिए संचालित शिविर में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों का बाह्य जाँच दल, जिसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रतिनिधि, नोडल/ पीईईओ तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित आर.पी. सदस्य होगे, द्वारा शिविर का त्रैमासिक मूल्यांकन सीखने के मानक मापदण्डानुसार किया जायेगा। प्रथम बाह्य मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर शिविर में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का निर्धारण कर आगामी कक्षा के संघनित पाठ्यकम में प्रवेश दिया जायेगा। द्वितीय बाह्य मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर शिविर में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का निर्धारण कर उन्हें उस कक्षा में संबंधित विद्यालय में मैनस्ट्रीम कराया जायेगा एवं नियमित अध्ययन-अध्यापन विद्यालय के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा। यह कक्षा बालक-बालिका की आयु अनुरूप कक्षा से भिन्न हो सकती है। इस प्रकार शिक्षा से वंचित बालक-बालिका का शाला दर्शन पोर्टल पर मैनस्ट्रीमिंग अनुसार रिकार्ड अपडेट किया जायेगा एवं कक्षा भिन्न होने की स्थिति में तद्नुसार एस.आर. पंजिका में परिवर्तन अंकित किया जायेगा।
- नौ माह की अवधि के लिए संचालित शिविर में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों का बाह्य जाँच दल, जिसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रतिनिधि, नोडल/ पीईईओ तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित आर.पी.

www.rajteachers.com

सदस्य होगे, द्वारा शिविर का त्रैमासिक मूल्यांकन सीखने के मानक मापदण्डानुसार किया जायेगा। प्रथम बाह्य मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर शिविर में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का निर्धारण कर आगामी कक्षा के संघनित पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा। द्वितीय बाह्य मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर शिविर में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का निर्धारण कर आगामी कक्षा के संघनित पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा। तृतीय बाह्य मूल्यांकन के आधार पर शिविर में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का निर्धारण कर उन्हें उस कक्षा में संबंधित विद्यालय में मैनस्ट्रीम कराया जायेगा एवं नियमित अध्ययन-अध्यापन विद्यालय के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा। यह कक्षा बालक-बालिका की आयु अनुरूप कक्षा से भिन्न हो सकती है। इस प्रकार शिक्षा से वंचित बालक-बालिका का शाला दर्शन पोर्टल पर मैनस्ट्रीमिंग अनुसार रिकार्ड अपडेट किया जायेगा एवं कक्षा भिन्न होने की स्थिति में तदनुसार एस.आर. पंजिका में परिवर्तन अंकित किया जायेगा।

- बालक-बालिकाओं को दोपहर का भोजन मिड-डे-मील योजनान्तर्गत मिलेगा। इस हेतु मिड-डे-मील का अतिरिक्त पोषाहार शिविर संचालन स्थल वाले विद्यालय को आवन्टित किया जावे तथा उस विद्यालय को पोषाहार कम आवन्टित किया जावे जहां पर उन बालक-बालिकाओ का आयु अनुरूप कक्षा में नामांकन हुआ है।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर अवधि के दौरान शिविर संचालन स्थल की एसएमसी के प्रधानाध्यापक द्वारा शिविर में उपस्थित बालक-बालिकाओं एवं एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की उपस्थिति प्रतिदिन प्रमाणित की जाएगी।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर की अवधि के दौरान शिविर स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में शिविर स्थल का संस्था प्रधान द्वारा दो माह में एक बार अध्यापक-अभिभावकों की बैठक आयोजित की जाएगी। कार्यवाही विवरण का परिशिष्ट-3 के अनुसार रिकार्ड संधारण किया जाएगा। इस बैठक में एज्यूकेशन वॉलिन्टियर, अभिभावक एवं एस.एम.सी. मिलकर शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की नियमित उपस्थिति, उनकी शैक्षिक उपलब्धि तथा शिविर संचालन में आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे तथा समाधान स्थानीय स्तर पर खोजेंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में अध्यापन करने वाले एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की एक दिवसीय मासिक बैठक का आयोजन ब्लॉक स्तर पर बीईईओ द्वारा नामित आर.पी. के द्वारा किया जायेगा। बैठक दिवस को शिविर संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)/ शहरी क्षेत्र में नोडल के निर्देशन में शिविर स्थल की विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा की जायेगी। एजूकेशन वालिन्टियर्स की मासिक बैठक में वैकल्पिक शिक्षा के कार्यक्रम प्रभारी (एपीसी) एवं आर.पी. शिविर संचालन संबंधी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे तथा एज्यूकेशन वॉलिन्टियर के समक्ष प्रस्तुत शैक्षिक कठिनाइयों का निराकरण करेंगे तथा शिविर को बेहतर चलाने हेतु अपने सुझाव देंगे। शिविर का फीडबैक लिया जाकर बैठक की रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- कक्षा स्तर अनुरूप दक्षता हासिल करने के बाद प्रवेश (मेनस्ट्रीम) कराये गये बालक/बालिकाओं की नामवार, किस विद्यालय की किस कक्षा में प्रवेश लिया, एस.आर. संख्या एवं दिनांक सहित पूर्व विवरण एवं समस्त रिकार्ड विशेष प्रशिक्षण शिविर समाप्ति के पश्चात् नोडल/ पीईईओ कार्यालय में रखा जायेगा।
- गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में कार्यरत एज्यूकेशन वॉलिन्टियर बालक/बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करे अन्यथा उनके मानदेय में निरीक्षण के समय अनुपस्थिति के आधार पर कटौती की जा सकेगी।
- शिविरों का संचालन शिविरा पंचाग के अनुसार विद्यालय समय में किया जाएगा।
- विगत वर्षों में देखने में आया है कि जो शिविर विद्यालय परिसर में चल रहे हैं, उनमें कार्यरत एज्यूकेशन वॉलिन्टियर को संस्था प्रधान द्वारा अन्य कक्षाओं के अध्यापन का दायित्व दे दिया जाता है,

www.rajteachers.com

जो अनुचित है। एज्यूकेशन वॉलिन्टियर केवल विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक–बालिकाओं को ही अध्यापन कार्य करायेगा।

- विशेष प्रशिक्षण शिविर का सफल संचालन एवं उसकी व्यवस्था संबंधी समस्त उत्तरदायित्व तथा पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट मय अनुपालना रिपोर्ट के निरीक्षणकर्ता को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने संबंधी दायित्व ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)/ शहरी क्षेत्र में नोडल का होगा।

(6) मॉनिटरिंग एवं समीक्षाः–

- विशेष प्रशिक्षण शिविर के इम्प्लिमेन्टेशन/ मॉनिटरिंग एवं रिव्यू हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था निम्नानुसार होगीः–
  - ग्राम पंचायत/ कस्बा स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)/ शहरी क्षेत्र में नोडल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समीक्षा की जावेगी। इस समिति में उन विद्यालयों से संबंधित एक शिक्षक जिनके विद्यार्थी कक्षा स्तर अनुरूप दक्षता विकसित करने हेतु शिविर में पंजीकृत हैं सदस्य होंगे। यह कमेटी विशेष प्रशिक्षण शिविर के इम्प्लिमेन्टेशन/ मॉनिटरिंग एवं वांछित सुधार हेतु उत्तरदायी रहेगी।
  - एस.डी.एम. की अध्यक्षता में होने वाली ब्लॉक स्तरीय निष्पादक समिति की बैठकों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की समीक्षा की जायेगी।
  - जिलाधीश की अध्यक्षता में होने वाली जिला स्तरीय निष्पादक समिति की बैठकों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी जिसकी समीक्षा की जायेगी एवं सुधार हेतु सुझाव दिये जायेगे।
- मॉनीटरिंग कमेटी मासिक बैठक आयोजित कर शिविर का प्रबोधन करेगी एवं बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर जिला कार्यालय को प्रेषित करेगी।

(7) दायित्व निर्धारण :–

1. डीपीसी/ एडीपीसी का दायित्व :–
   - अपने जिले के 6–14 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (शिक्षा से जुड़े हुए एवं शिक्षा से वंचित) का रिकार्ड रखना एवं उनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयास करना।
   - प्रत्येक ब्लॉक से प्राप्त गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों के संचालन से सम्बन्धित प्रस्ताव की जाँच कर अधिकतम शिविरों की संख्या निर्धारित कर अविलम्ब स्वीकृति जारी कर समग्र सूचना परिषद् मुख्यालय को प्रेषित करना।
   - जिलाधीश की अध्यक्षता में होने वाली जिला निष्पादक समिति की बैठकों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना एवं समीक्षा करवाकर सुधारात्मक उपाय करना।
   - परिषद् कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना।
   - अग्रिम राशि व समायोजन संबंधी रिकार्ड संधारण कराना।
   - जिले में संचालित गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों में से 15 प्रतिशत शिविरों का मासिक निरीक्षण करना।
   - जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी द्वारा सभी विशेष प्रशिक्षण शिविरों का संचालन अवधि के दौरान एक बार औचक निरीक्षण करवाना।
   - किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचित करना।
2. बीईईओ का दायित्व :–

www.rajteachers.com

- अपने ब्लॉक के 6–14 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (शिक्षा से जुड़े हुए एवं शिक्षा से वंचित) का रिकार्ड रखना एवं उनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयास करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)/ शहरी क्षेत्र में नोडल से प्राप्त विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ का प्रस्ताव अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
- ब्लॉक में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर अविलम्ब समग्र सूचना जिला मुख्यालय को प्रेषित करना।
- अपने ब्लॉक में एक आर.पी. को वैकल्पिक शिक्षा प्रभारी नियुक्त कर विशेष प्रशिक्षण शिविर संबंधी निम्न व्यवस्थाएँ करना:–
  - ➢ विशेष प्रशिक्षण संबंधी व्यवस्थाओं का इम्प्लिमेन्टेशन/ मॉनिटरिंग।
  - ➢ ब्लॉक स्तर पर विशेष प्रशिक्षण का कार्य करने वाले एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की मासिक बैठक का ब्लॉक स्तर पर आयोजन एवं रिकार्ड संधारण करना तथा रिपोर्ट जिला स्तर पर भिजवाना।
  - ➢ परिषद् के प्रशिक्षण शाखा द्वारा तैयार मॉड्यूल के अनुसार एज्यूकेशन वॉलिन्टियर के प्रशिक्षण की ब्लॉक स्तर पर व्यवस्था करना।
  - ➢ विशेष प्रशिक्षण शिविरों का शत–प्रतिशत निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन कर तथा निरीक्षण के दौरान परिलक्षित कमजोर पहलू को दूर कर व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने में सहयोग करना।
- परिषद् कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना।
- शिविर हेतु किए गए व्ययों का तथा अग्रिम राशि का निश्चित समयावधि में समायोजन कराना एवं रिकार्ड रखना।
- एस.डी.एम. की अध्यक्षता में होने वाली ब्लॉक निष्पादक समिति की बैठकों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर समीक्षा करवाना।
- बाह्य जाँच दल का गठन कर विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का आकलन कराना तथा उनकी मैनस्ट्रीम कराने के बाद शाला दर्शन/ शाला दर्पण पोर्टल पर परिशिष्ट–8 के अनुसार एंट्री की ट्रेकिंग करना।
- किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचित करना।

3. ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) एवं शहरी क्षेत्र में नोडल प्रधानाध्यापक का दायित्वः–
   - अपने ग्राम पंचायत/ वार्ड के 6–14 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (शिक्षा से जुड़े हुए एवं शिक्षा से वंचित) का रिकार्ड रखना एवं उनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयास करना।
   - शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की प्राप्त संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत/ वार्ड में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की अधिकतम संख्या निर्धारित करना।
   - विशेष प्रशिक्षण शिविर (आवासीय/ गैर आवासीय) हेतु स्थान चयन करना एवं एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की संख्या का निर्धारण करना तथा एसएमसी के माध्यम से एज्यूकेशन वॉलिन्टियर एवं सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का चयन करना।

www.rajteachers.com

- एसएमसी के द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर (आवासीय/ गैर आवासीय) हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर जाँच के बाद स्वीकृति हेतु बीईईओ के माध्यम से जिला परियोजना समन्वयक को भिजवाना।
- शिविर संबंधी समस्त आवश्यक पूर्व तैयारी एवं व्यवस्था (यथा भोजन/ अकादमिक/ सुरक्षा/ मूलभूत सुविधा) आदि सुनिश्चित करना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविरों का शत–प्रतिशत निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन करना तथा इस दौरान परिलक्षित कमजोर पहलू को दूर कर व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने में सहयोग करना।
- प्रत्येक विशेष प्रशिक्षण शिविर के प्रारम्भिक 7 दिवस के संचालन हेतु अधीनस्थ विद्यालयों में कार्यरत किसी एक शिक्षक को शिविर संबंधी कार्य हेतु नामित करना (यह शिक्षक यथा संभव नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों के आधिक्य वाले विद्यालय से हो)।
- एजूकेशन वालिन्टियर की अनुपस्थिति/प्रशिक्षण आदि में भाग लेने की दशा में विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- शिविर स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में संस्था प्रधान द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर की समीक्षा हेतु द्विमासिक पी.टी.ए. बैठक का आयोजन एवं रिकार्ड संधारण कराना।
- बाह्य मूल्यांकन उपरान्त प्रत्येक विशेष प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों की परिशिष्ट–8 के अनुसार शाला दर्शन पोर्टल पर एंट्री करना।
- परिषद् कार्यालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना।
- शिविर हेतु किए गए व्ययों का तथा अग्रिम राशि का निश्चित समयावधि में समायोजन कराना एवं रिकार्ड संधारण करना।
- बाह्य जाँच दल के कार्य में सहयोग करते हुए विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का आकलन कराना तथा उनकी मैनस्ट्रीम कराने के बाद शाला दर्शन/ शाला दर्पण पोर्टल पर अंकन एवं ट्रेकिंग करना।
- मेनस्ट्रीम किये गये समस्त बालक–बालिकाओं के आधार नम्बर की शाला दर्शन/ शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करना।
- शिविर समाप्ति पर समस्त अभिलेख सुरक्षित रखना।
- किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचित करना।

4. विद्यालय प्रबन्धन समिति के दायित्व :–

- अपने कैचमेन्ट एरिया के 6–14 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (शिक्षा से जुड़े हुए एवं शिक्षा से वंचित) का रिकार्ड तैयार करना।
- एज्यूकेशन वॉलिन्टियर के चयन से पूर्व व्यापक प्रचार–प्रसार करवाना एवं एज्यूकेशन वॉलिन्टियर तथा सहायक एज्यूकेशन वॉलिन्टियर का चयन करना।
- एजूकेशन वालिन्टियर की अनुपस्थिति/ प्रशिक्षण आदि में भाग लेने की दशा में ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)/ शहरी क्षेत्र में नोडल के निर्देशानुसार वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- शिविर स्थल की एसएमसी के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिदिन विशेष प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित बालक–बालिकाओं एवं एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की उपस्थिति का प्रमाणीकरण करना एवं शिविर में पंजीकृत विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रति माह उस विद्यालय को प्रेषित करना जहां उनका नामांकन आयु अनुरूप कक्षा में कराया गया है।

www.rajteachers.com

- परिषद् कार्यालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना।
- शिविर स्थल की एस.एम.सी. द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन हेतु आवश्यक सामग्री का नियमानुसार क्रय करना, वित्तीय कार्यों हेतु जी.एफ. एण्ड ए.आर. की पालना करना, शिविर हेतु किए गए व्ययों एवं प्राप्त अग्रिम राशि का निश्चित समयावधि में समायोजन कराना, उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन एवं अन्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखना तथा विशेष प्रशिक्षण शिविर के दौरान समस्त सामग्री एवं अभिलेख सुरक्षित रखना।
- शिविर स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में संस्था प्रधान द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर की समीक्षा हेतु द्विमासिक पी.टी.ए. बैठक का आयोजन कर रिकार्ड संधारण करना।
- किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचित करना।

5. एज्यूकेशन वॉलिन्टियर/ शिक्षक के दायित्व :–

- विशेष प्रशिक्षण शिविर में पंजीकृत समस्त बालक–बालिकाओं का आधार नामांकन करवाना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में पंजीकृत बालक–बालिकाओं का शिविर प्रारम्भ में कक्षा स्तर निर्धारण हेतु सीसीई पैटर्न के अनुसार लिखित में आकलन कर रिकार्ड संधारण करना।
- पंजीकृत विद्यार्थियो के आकलन अनुसार निर्धारित कक्षा स्तर से आगे की दक्षताओं के विकास के लिए शैक्षिक योजना तैयार कर रिकार्ड संधारित करना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में पंजीकृत बालक–बालिकाओं का शिविर प्रारम्भ में पोर्टफोलियो तैयार कर प्रतिमाह अपडेट करना।
- पीटीए में बालक–बालिका की उपस्थिति, शैक्षिक उपलब्धि तथा उनके ठहराव पर विशेष चर्चा कर बैठक का कार्यवृत्त संधारित करना।
- अनुपस्थित रहने वाले बालक–बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क कर परिशिष्ट–4 के अनुसार रिकार्ड संधारित करना।
- निर्धारित समस्त अभिलेख संधारण करना।
- शिविर–विद्यार्थियों की सुरक्षा, शिक्षण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करना।
- ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण/ बैठकों में भाग लेना।
- भामाशाह को प्रेरित कर आवश्यक सहयोग लेना।
- किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचित करना।

(8) अभिलेख संधारणः–

➢ विशेष प्रशिक्षण शिविर में निम्नानुसार अभिलेख संधारित करें:–

- स्टाफ उपस्थिति पंजिका
- अस्थाई/ स्थाई सामग्री रजिस्टर
- छात्र/छात्रा पोर्टफोलियो
- पी.टी.एम./ प्रशिक्षण आदि रिपोर्ट पंजिका
- विद्यार्थी आवागमन पंजिका
- बालक/बालिका उपस्थिति पंजिका
- विद्यार्थी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना पंजिका
- आवक/जावक पंजिका
- समय विभाग चक्र
- आगन्तुक पंजिका
- कैश बुक

➢ बीईईओ उक्त रिकार्ड संधारण हेतु एज्यूकेशन वॉलिन्टियर की सहायता के लिए एक आर.पी. को नामित करे एवं शिविर समाप्ति पर यह समस्त रिकार्ड ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र में नोडल कार्यालय में संधारित रहेगा।

(9) सत्र 2018–19 हेतु लक्ष्यः–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्न जिलों में गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालित किए जाएंगे, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

www.rajteachers.com

जिलेवार वार्षिक कार्ययोजना– 2018–19

S. No.	District Name	Non-Residential							
		3 Months Target		6 Months Target		9 Months Target		Total Target	
		Phy.	Fin. @ 1500/-	Phy.	Fin. @ 3000/-	Phy.	Fin. @ 4500/-	Phy.	Fin.
1	Ajmer	100	1.50	300	9.0	40	1.8	440	12.3
2	Alwar	200	3.00	200	6.0	0	0	400	9.0
3	Banswara	400	6.00	200	6.0	0	0	600	12.0
4	Baran	0	0	100	3.0	0	0	100	3.0
5	Barmer	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bhartpur	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bhilwara	1200	18.00	800	24.0	0	0	2000	42.0
8	Bikaner	71	1.065	0	0	0	0	71	1.065
9	Bundi	120	1.8	120	3.6	0	0	240	5.4
10	Chittaurgarh	330	4.95	120	3.6	0	0	450	8.55
11	Churu	150	2.25	50	1.5	0	0	200	3.75
12	Dausa	60	0.9	0	0	0	0	60	0.9
13	Dholpur	300	4.5	0	0	0	0	300	4.5
14	Dungarpur	100	1.5	0	0	0	0	100	1.5
15	Ganganagar	150	2.25	0	0	0	0	150	2.25
16	Hanumangarh	0	0	0	0	200	9.0	200	9.0
17	Jaipur	0	0	200	6.0	0	0	200	6.0
18	Jaisalmer	0	0	900	27.0	0	0	900	27.0
19	Jalor	600	9.0	0	0	0	0	600	9.0
20	Jhalawar	330	4.95	200	6.0	0	0	530	10.95
21	Jhunjhunu	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jhodhpur	225	3.375	165	4.95	135	6.075	525	14.4
23	Karauli	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kota	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Nagaur	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Pali	35	0.525	0	0	0	0	35	0.525
27	Pratapgarh	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Rajsamand	500	7.5	0	0	0	0	500	7.5
29	S.madhopur	120	1.8	0	0	0	0	120	1.8
30	Sikar	0	0	180	5.4	0	0	180	5.4
31	Sirohi	250	3.75	240	7.2	0	0	490	10.95
32	Tonk	61	0.915	99	2.97	0	0	160	3.885
33	Udaipur	0	0	847	25.41	0	0	847	25.41
	Total	5302	79.53	4721	141.63	375	16.875	10398	238.035

www.rajteachers.com

(10) बजट एवं वित्तीय सतर्कता :–

बजट प्रावधान 2017–18

Non-Residential Special Training

Break up of unit cost for 3 Months

(Per Child Unit Cost @ Rs. 1500/- & Phy. 15 to 29 children in a center)

S.N.	Items	Remarks
1	Salary of EV	(a) If the student no. is 1 to 15, then Rs. 12/- per working day per child or Rs. 4500/- per month, whichever is less, will be paid to EV. (b) If the student no. becomes 16 to 20, then Rs. 12/- per working day per child or Rs. 5000/- per month, whichever is less, will be paid to EV. (c) If the student no. becomes 21 to 25, then Rs. 12/- per working day per child or Rs. 5500/- per month, whichever is less, will be paid to EV. (d) If the student no. becomes 26 to 29, , then Rs. 12/- per working day per child or Rs. 6000/- per month, whichever is less, will be paid to EV.
2	Salary of Asst. EV	(a) If the student no. is 21, then Rs. 1000/- per month will be paid to Asst. EV. (b) If the student no. becomes 22 to 29, then extra Rs. 10/- per working day per child will be paid to Asst. EV.
3	Training of EV	Maximum Rs. 50/- per day (to meet the fare of going to BEEO office during training).
4	Special Teaching Learning Material (Condense Course) @ Rs. 350/- per class per child, as per state norms.	As per requirement of OoSC.
5	Management & miscellaneous & Other sundry expences for three months.	As per requirement the rest amount will be used for management & missellaneous expenses such as TLM, Stationary, Contingency & Medical etc.

www.rajteachers.com

Non-Residential Special Training

Break up of unit cost for 6 Months

(Per Child Unit Cost @ Rs. 3000/- & Phy. 15 to 29 children in a center)

S.N.	Items	Remarks
1	Salary of EV	(a) If the,student no. is 1 to 15, then Rs. 12/- per working day per child or Rs. 4500/- per month, whichever is less, will be paid to EV. (b) If the student no. becomes 16 to 20, then Rs. 12/- per working day per child or Rs. 5000/- per month, whichever is less, will be paid to EV. (c) If the student no. becomes 21 to 25, then Rs. 12/- per working day per child or Rs. 5500/- per month, whichever is less, will be paid to EV. (d) If the student no. becomes 26 to 29, , then Rs. 12/- per working day per child or Rs. 6000/- per month, whichever is less, will be paid to EV.
2	Salary of Asst. EV	(a) If the student no. is 21, then Rs. 1000/- per month will be paid to Asst. EV. (b) If the student no. becomes 22 to 29 ,then extra Rs. 10/- per working day per child will be paid to Asst. EV.
3	Training of EV	Maximum Rs. 50/- per day (to meet the fare of going to BEEO office during training).
4	Special Teaching Learning Material (Condense Course) @ Rs. 350/- per class per child, as per state norms.	As per requirement of OoSC.
5	Management & miscellaneous & Other sundry expences for three months.	As per requirement the rest amount will be used for management & missellaneous expenses such as TLM, Stationary, Contingency & Medical etc.

Non Residential Special Training

Break up of unit cost for 9 months

(Per Child Unit cost @Rs.4500/- & phy. 15 to 29 children in a center)

S.No.	Items	Remarks
1	Salary of EV	(a) If the student no. is 1 to 15 then Rs.12/- per working day per child or Rs. 4500/- per month, whichever is less, will be paid to EV. (b) If the student no. is become 16 to 20 then Rs.12/- per working day per child or Rs. 5000/- per month, whichever is less, will be paid to EV. (c) If the student no. is become 21 to 25 then Rs.12/- per working day per child or Rs. 5500/- per month, whichever is less, will be paid to EV. (d) If the student no. is become 26 to 29 then Rs.12/- per working day per child or Rs. 6000/- per month, whichever is less, will be paid to EV.
2	Salary of Asst. EV	(a) If the student no. 21, then Rs.1000/- per month will be paid to Asst. EV. (b) If the student no. 22m to 29, then Rs.10/- per working day per child will be paid to Asst. EV.
3	Training of EV	Maximum Rs. 50/- per day (to meet the fare of going to BEEO office during training)
4	Special Teacher Learning Material (Condense Course) @Rs. 350/- per class per child, as per state norms.	As per required of OoSc.
5	Management & Miscellaneous & other sundry expenses for three months.	As per requirement, the rest amount will be usd for management & miscellaneous expenses such as TLM, Stationary, Contigency & Medical etc.

www.rajteachers.com

- पीएबी 2018–19 में गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर 3 माह हेतु बजट प्रावधान 1500/– रूपये प्रति बालक–बालिका, 6 माह हेतु बजट प्रावधान 3000/– रूपये प्रति बालक–बालिका तथा 9 माह हेतु बजट प्रावधान 4500/– रूपये प्रति बालक–बालिका स्वीकृत किया गया है।
- नियमितरूप से काम आने वाली सामग्री यथा– चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, चार्ट आदि तथा विज्ञान एवं गणित किट की व्यवस्था यथा संभव संबंधित विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाये।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में बालक–बालिकाओं की संख्या के आधार पर आनुपातिक व्यय स्वीकृत होगा। बचत होने की स्थिति में भौतिक लक्ष्य बढ़ाएं जा सकेंगे, परन्तु इसकी अनुमति परिषद कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर का सम्पूर्ण व्यय प्रोक्योरमेन्ट निर्देशों के अनुसार शिविर स्थल की एसएमसी द्वारा किया जावेगा।
- क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता हेतु शिविर स्थल के एसएमसी अध्यक्ष, सचिव एवं सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)/ शहरी क्षेत्र में नोडल संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- उपर्युक्त बजट सारणी के बिन्दु संख्या 4 में वर्णित राशि संघनित पाठ्यक्रम मुद्रण हेतु प्राविधित है।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर (आवासीय/ गैर आवासीय) हेतु अग्रिम राशि के हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख जिला एवं ब्लॉक/एस.एम.सी. (शिविर स्थल) स्तर पर संधारित किए जावे, जिसमें (1) अग्रिम राशि किस उद्देश्य के लिए दी गई है, (2) वास्तव में हुआ व्यय (3) अग्रिम में से हुए व्यय के समायोजन पश्चात् शेष राशि तथा (4) उपयोगिता प्रमाण जारी होने का उल्लेख हो।
- निश्चित अवधि के बाद बिना सक्षम स्वीकृति के विशेष प्रशिक्षण शिविर नहीं चलाये जाए।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर के व्यय बिलों के भुगतान से पूर्व बालक/बालिकाओं की उपस्थिति रजिस्टर से प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करवाई जाकर तथा समय–समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा किए गये पर्यवेक्षण को ध्यान में रखा जाकर औसत उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर के समस्त व्यय बिलो पर एसएमसी (शिविर स्थल) के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर अंकित होंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र पर दिनाँक एवं डिस्पेच नम्बर अंकित किए जाए तथा उस पर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)/ शहरी क्षेत्र में नोडल एवं बीईईओ के प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में किए गए समस्त व्यय का भुगतान चैक द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु किए गए व्ययों का निश्चित समयावधि में समायोजन करवाने हेतु सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)/ शहरी क्षेत्र में नोडल) जिम्मेदार होगा।
- असमायोजित राशि को ब्लॉक/एस.एम.सी (शिविर स्थल) से प्राप्त कर जिला कार्यालय के लेखों में प्रविष्टि की जाए।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में आवंटित मद अनुसार निर्धारित बजट से अधिक व्यय नहीं किया जाए। अधिक व्यय किए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाकर वसूली की जाएगी।
- गतिविधि के संचालन हेतु राशि की और आवश्यकता होने पर पुनर्विनियोजन प्रस्ताव परिषद् को समय रहते भिजवाये जाए, जिससे भुगतान प्रक्रिया बिना विलम्ब के पूर्ण हो सके।
- अनावश्यक भुगतान रोके जाने एवं उसी वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं होने पर, अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

www.rajteachers.com

इन दिशा निर्देशों के अनुसार गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (3 माह, 6 माह एवं 9 माह) का संचालन किया जायेगा। दिशा निर्देशों की शत– प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाये।
संलग्न :– (परिशिष्ट 1–8)

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांकः– राप्राशिप/जय/वै.शि./गै.आ.वि.प्र.शि./2017–18/6636 दिनांकः-20/9/18
प्रतिलिपिः– निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजि सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निजी सहायक अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
4. नियन्त्रक वित एवं लेखा, राप्राशिप जयपुर।
5. उपायुक्त (योजना) राप्राशिप जयपुर।
6. जिला प्रभारी अधिकारी, जिला–...।
7. जिला / अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
8. रक्षित पत्रावली।

20/9/18
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com

परिशिष्ट 1

.... विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन प्रस्ताव

(प्रस्ताव नोडल/ PEEO अपने क्षेत्र की एस.एम.सी. से तैयार कराकर BEEO (ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी) को एवं BEEO द्वारा DPC को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा।)

1. नाम जिला :- ब्लाक- नोडल/ PEEO-
2. स्थान का नाम, जहाँ शिविर संचालित किया जाएगा - शिविर का प्रकार - आवासीय/ गैर आवासीय
3. शिविर संचालन करने वाली एस.एम.सी. का नाम - अवधि - 3 माह / 6 माह / 9 माह
4. विवरण-

सूची

क. सं.	नाम बालक/बालिका	पिता का नाम	जन्म तिथि	वास स्थान का नाम	VER / WER में दर्ज क्रमांक	हाउस होल्ड सर्वे में दर्ज क्रमांक	विद्यालय का नाम जिसमें नामांकित कराया गया है।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

(1) ये सब बालक/बालिकाऐं हाउस होल्ड सर्व में शिक्षा से वंचित बालक–बालिका के रूप में चिन्हित है।

(2) सूची में अंकित बालक/बालिकाओं का विशेष प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से दक्षता विकसित करवाकर शिक्षा की मुख्यधारा में वास्तविक नामांकन सुनिश्चित किया जाना है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
बीईईओ	नोडल संस्था प्रधान/ PEEO	शिविर स्थल एसएमसी अध्यक्ष

परिशिष्ट 2

पंजीयन प्रपत्र एवं प्रोफाईल

प्रपत्र–1

आवासीय/ गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रारम्भ होने से पूर्व शिक्षा से वंचित बालक/ बालिकाओं के नामांकन वाले विद्यालय में भरा जाये।

पासपार्ट साईज़ का फोटो

1. जिला ....
2. ब्लॉक/पंचायत समिति ....
3. ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम ....
4. ग्राम का नाम ....
5. बालक/बालिका का नाम ....
6. पिता/माता का नाम ....
7. जन्म दिनांक ....
8. वर्ग – SC/ST/OBC/Miniority/Gen. .... लिंग ....
9. पूर्व में अनामांकित/ ड्रॉप आउट .... यदि ड्रॉप आउट है तो अन्तिम कक्षा ...... विद्यालय ....
10. बालक/बालिका को आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित करने वाले विद्यालय का नाम .... कक्षा ......
11. वास्तविक दक्षता जॉच अनुसार कक्षा स्तर ....
12. बालक/बालिका के निवास स्थान का पता .... विद्यालय की दूरी (KM में) ....
13. आवासीय/ गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण स्थल का नाम ....
14. मैं उपर्युक्त विवरणानुसार आयु अनुरूप कक्षा स्तर की दक्षता विकसित करने हेतु अपने पुत्र/ पुत्री को आवासीय/ गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में रखने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर
अभिभावक

15. जॉच के उपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बालक/बालिका आवासीय/ गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (3 माह/ 6 माह / 9 माह) में प्रवेश लायक है एवं इसका नाम CTS संबंधी VER/ WER में क्र.सं. .... पर दर्ज है एवं दोहरा नामांकन नहीं है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
शिविर स्थल एस.एम.सी. सचिव (संस्था प्रधान)	अध्यक्ष एस.एम.सी.	नोडल संस्था प्रधान/ PEEO	बीईईओ

EWrtSR

www.rajteachers.com

प्रपत्र–2

(विशेष प्रशिक्षण शिविर स्थल पर एज्यूकेशन वॉलिन्टियर द्वारा भरा जायेगा)

1. शिक्षा से वंचित रहने के कारण :– ....

2. सावधिक आकलन (प्रतिमाह भरा जावे)' :–

(a) विषयगत:–

विषय	प्रवेश के समय (कक्षा अंकित करें)	प्रथम मासिक टेस्ट के बाद	द्वितीय मासिक टेस्ट के बाद	तृतीय मासिक टेस्ट के बाद	अन्तिम आकलन	एज्यूकेशन वॉलिन्टियर द्वारा अपनाये गये उपचारात्मक मापदण्ड
भाषा						
गणित						
पर्यावरण						
सामाजिक विज्ञान						
कला शिक्षा/ शारीरिक शिक्षा						

* A अच्छा, B संतोषजनक, C सुधार अपेक्षित

(b) उपस्थिति:–

कुल कार्य दिवस	प्रथम माह की उपस्थिति	द्वितीय माह की उपस्थिति	तृतीय माह की उपस्थिति	योग

3. मैनस्ट्रिमिंग का विवरण (विशेष प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद) :–

1. विद्यालय :– ....
2. कक्षा :– ....
3. प्रवेश कमांक एवं दिनांक :– ....
4. मैनस्ट्रिमिंग नहीं होने की स्थिति में कारण :– ....

हस्ताक्षर
एज्यूकेशन वॉलिन्टियर

हस्ताक्षर
शिविर स्थल संस्था प्रधान

परिशिष्ट 3

एजूकेशन वालिन्टियर– अभिभावक द्विमासिक बैठक रजिस्टर प्रपत्र

1. विद्यार्थियों का निम्न विवरण तैयार करें:–

क्र.सं.	नाम	कक्षा	द्विमासिक कुल उपस्थिति	अध्ययन प्रगति	समस्या विवरण

2. अन्य चर्चा के बिन्दुओं का विवरण :–

....

....

हस्ताक्षर
अभिभावक

हस्ताक्षर
SMC अध्यक्ष

हस्ताक्षर
SMC सचिव

हस्ताक्षर
EV/ वार्डन

परिशिष्ट 4

एजूकेशन वालिन्टियर द्वारा अभिभावक से किए गए सम्पर्क का रजिस्टर

क्र. सं.	सम्पर्क की दिनाँक	बालक– बालिका का नाम	अभिभावक का नाम एवं मोबाईल नम्बर	संपर्क का उद्देश्य	सम्पर्क के दौरान हुई वार्ता का संक्षिप्त विवरण	अभिभावक के हस्ताक्षर	एजूकेशन वालिन्टियर के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 5

बालक/बालिकाओं का आवागमन का रजिस्टर

क. स.	बालक/ बालिका का नाम	शिविर स्थल से जाने की दिनांक	शिविर स्थल से जाने का कारण	विद्यार्थी से संबंध	ले जाने वाले के हस्ताक्षर	आने की तिथि एवं समय	हस्ताक्षर एजूकेशन वालिन्टियर

www.rajteachers.com

परिशिष्ट 6

आगन्तुक रजिस्टर

क. स.	दिनांक	आगन्तुक का नाम	आगन्तुक का पता एवं मोबाईल नम्बर	किससे मिलने आये	उससे संबंध	आने का कारण	आने का समय	जाने का समय	हस्ताक्षर आगन्तुक	हस्ताक्षर एज्यूकेशन वालिन्टियर

परिशिष्ट 7

बाह्य मूल्यांकन परिणाम प्रपत्र

शिविर का प्रकारः– .... शिविर की अवधि ....

शिविर स्थल .... एस.एम.सी. .... शिविर प्रारम्भ दिनांक ....

क. स.	नाम बालक–बालिका	विद्यालय का नाम जिसमें आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाया गया।	शिविर प्रारम्भ में बालक–बालिका की दक्षता अनुरूप कक्षा	शिविर समाप्ति पर बालक–बालिका की दक्षता अनुरूप कक्षा

हस्ताक्षर
आर.पी.
(बीईईओ द्वारा नामित)

हस्ताक्षर
नोडल संस्था प्रधान/ PEEO

हस्ताक्षर
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी / प्रतिनिधि

परिशिष्ट 8

आयु अनुरूप कक्षा की दक्षता स्तर विकसित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिए जाने वाले बालक–बालिकाओं का विवरण

(शाला दर्शन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु)

<table>
<tr><th rowspan="3">क्र.सं.</th><th rowspan="3">ग्राम पंचायत</th><th rowspan="3">गाँव/ वार्ड</th><th rowspan="3">हैबिटेशन/ वासस्थान</th><th rowspan="3">नाम बालक/ बालिका</th><th rowspan="3">पिता का नाम</th><th rowspan="3">जन्म दिनांक</th><th rowspan="3">आयु अनुरूप कक्षा</th><th rowspan="3">विद्यालय का नाम जहाँ नामांकित हुआ</th><th rowspan="3">विद्यालय का शाला दर्शन/ शाला दर्पण/ प्राईवेट पोर्टल का कोड</th><th rowspan="3">नामांकन क्रमांक (एस.आर. क्रमांक)</th><th rowspan="3">प्रवेश की दिनांक</th><th rowspan="3">दक्षता की जाँच अनुसार विद्यार्थी का कक्षा स्तर</th><th colspan="5">शिविर प्रकार</th><th colspan="2">शिविर स्थल</th><th rowspan="3">शिविर समाप्ति उपरान्त बाह्य मूल्यांकन के आधार पर किस कक्षा में मैनस्ट्रीमिंग कराई गई</th><th rowspan="3">मैनस्ट्रीमिंग की दिनांक</th></tr>
<tr><th colspan="2">आवासीय</th><th colspan="3">गैर आवासीय</th><th rowspan="2">विद्यालय</th><th rowspan="2">अन्यत्र</th></tr>
<tr><th>3 माह</th><th>6 माह</th><th>3 माह</th><th>6 माह</th><th>9 माह</th></tr>
<tr><td colspan="13">(हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र–2 के अनुसार अंकित)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

हस्ताक्षर
PEEO/ नोडल

हस्ताक्षर
संबंधित संस्था प्रधान

हस्ताक्षर
शिक्षक/ EV

www.rajteachers.com